राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/21/ 5986 दिनांकः 30/3/22

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 में भवन निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं। जिन भवनों में बिना स्वीकृति के निर्माण/भवन विनियमों के विपरीत निर्माण किया जाता हैं, ऐसे भवन या उसके भाग को धारा 194 (7) (एफ) के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सीज करने के अधिकार प्रदत्त हैं।

राज. नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत नगरपालिकाओं द्वारा जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा धारा 194 (12) के अन्तर्गत अपील के माध्यम से अपील प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी जा सकती हैं। धारा 194 (7) (एफ) के अन्तर्गत सीज करने के जारी आदेश को भी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष धारा 194 (12) में चुनौती दी जा सकती हैं।

सीज खोलने के संबंध में पूर्व में जारी विभागीय आदेश क्रमांक 28670 दिनांक 04.06.2019 एवं 32943 दिनांक 24.09.2019 की निरन्तरता में आदेशित किया जाता है कि अतिरिक्त निदेशक एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की नगरपालिकाओं के लिए धारा 194 (12) में अपील में यदि सीज खोलने का निर्णय पारित किया जाता हैं, तो उनके द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय से पहले अनुमोदन कराया जावेगा एवं निदेशक द्वारा नगर निगमों एवं नगरपरिषदों के लिए धारा 194 (12) में अपील में यदि सीज खोलने का निर्णय पारित किया जाता हैं तो माननीय मंत्री महोदय से पहले अनुमोदन कराया जावेगा।

इसके अतिरिक्त यदि किसी मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किसी भी भवन/परिसर में लगाई गई सील को खुलवाना प्रशासनिक दृष्टि से उचित समझा जावे तो वह कारणों का उल्लेख करते हुए निदेशालय के निदेशक के समक्ष सम्पूर्ण विवरण सहित स्पष्ट अभिशंसा के साथ प्रस्ताव भिजवाये, ताकि उक्तानुसार प्राप्त अभिशंसा पर निदेशालय के माध्यम से राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् सील खोलने बाबत आदेश जारी किया जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/21/ 5987-6485 दिनांकः 30/3/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
7. समस्त अधिकारी निदेशालय।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
9. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी